

23-12-2014

परिवादी सहित श्री बिसेन अधिवक्ता।
आरोपी स्वयं उपस्थित।

उभयपक्ष की ओर से प्रारूपित आवेदन पत्र के साथ राजीनामा डाकेट लिखित व स्वयं के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है।

उभयपक्ष की पहचान श्री बिसेन अधिवक्ता द्वारा की गई।

परिवादी ने स्वेच्छया से बिना किसी डर या दबाव के अपराध शमन किये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण में आरोपी ने उपस्थिति दिनांक को ही प्रारम्भिक अवस्था में परिवादी से राजीनामा कर लिया है। राजीनामा आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती। अतएव परिवादी का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 परकाम्य लिखत अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आरोपी के विरुद्ध अपराध का शमन किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, समयावधि के भीतर अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर